<u>र्राजस्ट्री</u> सं. डी.एल. – 33002/99

GOVERNMENT OF INDIA







Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 349] दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 9, 2017/भाद्र 18, 1939 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 257 No. 349] DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 9, 2017/BHADRA 18, 1939 [N.C.T.D. No. 257

गग—ार

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 7 सितम्बर, 2017

सं. फा. जी 12/13/2016—सीसीयू—सचि0(सू0प्रौ0)/4103—04.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना सं0 फा0 24/78/68—डीएच (एस) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय 5613 DG/2017 राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत सिस्टम ऐनालिस्ट के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती पद्धति तथा आवश्यक योग्यता से संबंधित, यहां संलग्न अनुसूची के भर्ती नियमों में संशोधन करते हैं।

- 1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :— (1) इन नियमों को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में **सिस्टम ऐनालिस्ट** के भर्ती एवं पदोन्नति विनियम, 2016 कहा जा सकेगा।
 - (2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. अनुप्रयोग :— ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम संख्या 01 में निर्दिष्ट पदों के लिये लागू होंगे।
- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर :— उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण, एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 4. भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं इत्यादिः— उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 5. अयोग्यता :- ऐसा कोई भी व्यक्ति
 - (क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति / पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या
 - (ख) जो एक जीवित पति / पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है।

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

शर्त यह है कि यदि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस विनियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

- 6. नियमित सेवा :—किसी ग्रेड के संदर्भ में "नियमित सेवा" का अर्थ उक्त ग्रेड पर दीर्घकालिक नियुक्ति के लिये चयन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन होने के उपरान्त ग्रेड पर सेवारत रहने की अवधि है या अवधियां हैं और इसमें कोई अवधि या अवधियां सम्मिलित हैं जिसमें कोई अधिकारी उस ग्रेड के किसी ड्यूटी पद पर बना रहना होगा यदि ऐसा नहीं होता तो वह अवकाश पर या अन्यथा रहने के कारण किसी पद को धारण करने हेतु उपलब्ध नहीं है।
- 7. शिथिल करने की शक्ति:—जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों / पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

- 8. **बचावः** इन विनियमों की किसी भी बात का भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक एवं अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 9. **निरसन** :— इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से पूर्ववर्ती अधिसूचना सं0 19(2) / 2005 / आईटीसी / 5047—53 दिनांक 10 नवम्बर, 2006 अधिक्रमित हो जायेगी।

1.	पदनाम	:	सिस्टम ऐनालिस्ट				
				अर्थ एवं सांख्यिकीय निदेशालय	02		
				व्यापार एवं कर	02		
				उद्योग	01		
				परिवहन	02		
				प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय	10		
				राजस्व	04		
				प्रधान लेखा कार्यालय	01		
				सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	01		
				केन्द्रीय कारागार	01		
				समाज कल्याण	01		
				भूमि एवं भवन	01		
				आबकारी, मनोरंजन व विलासिता कर	01		
				खाद्य एवं आपूर्ति	01		
				दिल्ली स्वास्थ्य सेवाएं	01		
				डॉ० बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल	01		
				जीबी पंत अस्पताल	01		
				डीएसएसएसबी	01		
				पीएफए	01		

		1	
2.	पदों की संख्या	:	33* (2017)
			इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है
3.	वर्गीकरण	:	क—वर्गीय, सामान्य केन्द्रीय सेवा, राजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	स्तर—10 (56,100—1,77,500 / —रुपये)
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं भौक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नित द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अल्पकालिक संविदा सहित
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेश द्वारा भर्ती	:	पदोन्नति
	होनी हो तो ग्रेंड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेश किया जाना है		——— नियमित आधार पर वेतन मेट्रिक्स (44,900—1,42,400 / —रुपये) के स्तर—7 में तीन वर्ष की सेवा सहित सहायक प्रोग्रामर।
			अनिवार्य प्रशिक्षण:—
			परिवीक्षा के सफलतापूर्ण समापन के भाग के रूप में किसी नामित संगठन / संस्थान से पद के कर्त्तव्यों और दायित्वों के क्षेत्र में संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित एवं प्रायोजित तीन सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण।

टीप:— जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है और पदोन्नित के लिए विचारणीय हैं, उनके विरष्ठ अधिकारी भी विचारणीय होंगे, बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक सेवा ऐसी निर्धारित अर्हक सेवा की आधी से अधिक या दो वर्ष जो भी इनमें कम हो, से कम न हो और अपने किनष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च ग्रेड में अपनी पदोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक सेवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्तः (अल्पकालिक संविदा सहित)

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/ विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अर्धसरकारी/सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठनों के अधिकारी

- (क) (1) मूल संवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारण करने वाले; अथवा
- (2) मूल संवर्ग / विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47,600-1,51,100 / -रुपये) के पदों में दो वर्ष की नियमित आधार पर सेवा रखने वाले या समकक्ष; अथवा
- (3) मूल संवर्ग / विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44,900-1,42,400 / -रुपये) के पदों में तीन वर्ष की नियमित आधार पर सेवा रखने वाले या समकक्ष: अथवा
- (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वालेः
- (1) किसी मान्यता प्राप्त / संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग या विज्ञान (कम्प्यूटर विज्ञान / सूचना प्रौद्योगिकी) में स्नातकोत्तर उपाधि, अथवा

किसी मान्यता प्राप्त / संस्थान से इंजीनियरिंग या कम्प्यूटर इंजीनियरिंग / कम्प्यूटर विज्ञान / कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी / कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग / सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि, तथा

(2) सरकारी कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रोग्रामिंग/आरडीबीएमएस/नेटवर्किंग में योग्यता उत्तर तीन वर्ष का अनुभव।

			(भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नित की सीधी श्रृंखला में हैं, वे प्रितिनयुक्ति पर नियुक्त के लिए विचारणीय नहीं होंगे । इस प्रकार प्रितिनयुक्ति अधिकारी पदोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचारणीय नहीं होगे) (केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति के तुरन्त पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद से प्रितिनयुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रितिनयुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को छप्पन (56) वर्ष से अधिक नहीं होगी।)
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?		समूह 'क' विभागीय पदोन्नित समिति 1. अध्यक्ष / सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष 2. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली — सदस्य 3. सचिव (सेवाएं), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली — सदस्य 4. सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली — सदस्य समूह 'क' विभागीय स्थायीकरण समिति 1. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली — अध्यक्ष 2. सचिव (सेवाएं), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली — सदस्य 3. सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली — सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	प्रत्येक अवसर पर इस पद की नियुक्ति के लिये संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, डॉ. आशीष चन्द्रा वर्मा, सचिव (सूच. प्रौ.)

DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY NOTIFICATION

Delhi, the 7th September, 2017

F. No. G.12/13/2016-CCU-SECY(IT)/4103-04.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Govt. of India, Ministry of Home affairs notification No. F. 24/78/68-DH(S) dated 24th September, 1968, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, with the prior consultation of the Union Public Service Commission, is pleased to amend the Recruitment Rules in the Schedule hereto annexed, regarding the method of recruitment and qualification necessary for appointment to the post of System Analyst under the Department of Information Technology, Govt. of National Capital Territory of Delhi.

RECRUITMENT AND PROMOTION REGULATIONS FOR THE POST OF SYSTEM ANALYST IN DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY, GOVT. OF NCT OF DELHI

- 1. Short title and commencement—(i) These regulations may be called the System Analyst in Department of Information Technology, Govt. of NCT of Delhi Recruitment and promotion Regulation, 2016.
 - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
- **2. Application.**—These rules shall apply to the posts specified in Column No. 1 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification and level in pay matrix.—The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be specified in Column 2 to 4 of the schedule.
- **4. Method of recruitment, age limit, other qualification etc.**—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in Column No. 5 to 11 of the said schedule.
- 5. **Disqualifications.**—No person
 - (a) Who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts.

Provided that the Department of Information Technology may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

6. Regular Service.—"Regular Service" in relation to any grade means, the period or periods of service in the grade, rendered after selection, according to the prescribed procedure of selection on long term appointment to that grade and shall include any period or periods during which an officer would have held a duty post in that grade but for his being on leave or otherwise not being available for holding such a post.

- 7. **Power to relax.**—Where the Govt. of NCT of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reason to be recorded in writing, and in consultation with the Union Service Public Commission, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
- **8. Saving.**—Nothing in these Regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Govt. of India from time to time, in this regard.
- **9. Repeal.**—Earlier Notification No. F.19(2)/2005/ITC/5047-53 dated 10th November, 2006 shall stand superseded from the date of issue of this notification.

ANNEXURE-I
Recruitment Rules for the Post of System Analyst, Group-A Gazetted, Pay Matrix Level -10 (Rs. 56,100 – 1,77,500)

Name of the post		No. of Post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection or Non- Selection Post	Age Limit for Direct Recruits	other Qualification	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
1		2	3	4	5	6	7	8
SYSTEM ANALYST Dte. of Economics & Statistics Trade & Taxes	02	33*	GCS Group-A Gazetted Non-Ministerial	Level -10 (Rs. 56,100- 1,77,500/-)	Selection	N.A.	NOT APPLICABLE	N.A.
Industries	01							
Transport DTTE	02 10							
Revenue Principal Account Office	04 01							

Dept. Information	01				
Technology					
Central Jail	01				
Social Welfare	01				
Land & Building	01				
Excise Entt. & Luxury Tax	01				
Food &Civil Supplies	01				
DHS	01				
Dr. Baba Saheb Ambedkar Hospital	01				
GB Pant Hospital	01				
DSSSB	01				
PFA	01				

^{* (2017)} Subject to variation Dependent on workload

Annexure-I Recruitment Rules for the Post of System Analyst, Group-A Gazetted, PB-3 (Rs. 15600-39100)+GP Rs. 5400/-

Period of	Method of recruitment	In case of recruitment by promotion/deputation/	If a DPC exists what is its	Circumstances in which
Probation,	whether by direct	absorption, grades from which promotion/deputation/	composition	U.P.S.C. to be consulted
if any	recruitment or by	absorption to be made		in making recruitment
	promotion or by			
	deputation/ absorption			
	& percentage of the			
	vacancies to be filled			
	by Various methods			
9	10	11	12	13
Two	By Promotion	PROMOTION:	Group 'A' Departmental Promotion	Consultation with UPSC
Years	failing which by		Committee:	is necessary for
	deputation including	Assistant Programmer with 3 years regular service		appointment to the post on
	short-term contract	rendered in Level 7 in Pay Matrix (Rs. 44,900- Rs.	1. Chairman/Member, UPSC	each occasion.
		1,42,400) on regular basis.	—Chairman	

MANDATORY TRAINING:

Three weeks' mandatory training as prescribed and sponsored by the Cadre Controlling Authority in the field of duties and responsibilities of the post from a designated organisation/institute, as part of successful completion of probation.

Note: Where Juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

<u>DEPUTATION (INCLUDING SHORT TERM</u> CONTRACT):

Officers under Central Govt./ State Govts./ Union Territories/ Universities/Recognized Research Institutes/Public Sector Undertakings/Semi-Government Statutory or Autonomous organizations:

- (A) (I) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department, OR
- (II) with 2 years' regular service in posts in Level 8 (Rs. 47,600- Rs. 1,51,100) in the Pay Matrix OR equivalent in the parent cadre/department, OR
- (III) with 3 years' regular service in posts in Level-7 in the Pay Matrix (RS. 44,900- Rs.1,42,400) OR equivalent in the parent cadre/department; AND
- (B) Possessing the following educational qualifications and experience:

- 2. Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi —**Member**
- 3. Secretary (Services), Govt. of NCT of Delhi —Member
- 4. Secretary, Department of Information Technology, Govt. of NCT of Delhi **Member**

Group 'A' Departmental Confirmation Committee:

- 1. Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi Chairman
- 2. Secretary (Services), Govt. of NCT of Delhi —Member
- 3. Secretary, Department of Information Technology, Govt. of NCT of Delhi **Member**

(I) Master's Degree in Computer Applications, OR Master of Science (Computer Science/Information Technology) from a recognized University/ Institute; OR

Bachelor of Engineering OR Bachelor Technology in Computer Engineering/ Computer Science/ Computer Technology/ Computer Science & Engineering/ Information Technology from a recognized University/ Institute, AND

(II) Three years' Post-Qualification experience in Programming/RDBMS/Networking in a Government office/PSU/Autonomous Bodies/ Statutory Body OR in any recognized Institution.

(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion).

(The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization /Deptt. in the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

Dr. ASHISH CHANDRA VERMA, Secy. (IT)